

11/12/25

8<sup>01</sup>/<sub>26</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। स्वयं वादीगण एवं प्रतिवादीगण भी अनुपस्थित। तीन बार कक-कक कर आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अदम दायरी अदम पेशी में (default) अन्तर्गत O9R3 CPC में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सण शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद लागू दाखिल इफ्तार हो।



11/12/25  
08/01/26

उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला कलवाड़ (रज०)